

प्रेषक,

सचिव,
माध्यमिक शिक्षा परिषद,
उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

सेवा में,

समस्त जिला विद्यालय निरीक्षक,
उत्तर प्रदेश।

पत्रांक:परिषद-9/ 158

दिनांक 18 मई, 2017

विषय: आधार कार्ड बनवाने एवं यूडायस कोड भरने के सम्बन्ध में।

महोदय/महोदया,

ज्ञातव्य है कि शासनादेश संख्या-आर0एम0एस0ए0/497-11/2822-23/2016-17 दिनांक 30 मार्च 2017 के द्वारा प्रमुख सचिव(मा0शि0) उ0प्र0शासन ने इस आशय प्रदान किये है कि आगामी वर्ष में सभी राजकीय/अशासकीय सहायता प्राप्त/अशासकीय गैर सहायता प्राप्त संस्थाओं के प्रधान परिषद द्वारा भराये जाने वाले आन लाइन फार्म में आधार कार्ड एवं विद्यालय का यूडायस कोड भरे जाने सम्बन्धी कालम को सम्मिलित करते हुये कक्षा- 9 से 12 तक के सभी छात्र/छात्राओं का आधार कार्ड संख्या एवं विद्यालय के यूडायस कोड की इन्ट्री करायेगें।

शासन द्वारा प्रदान किये गये उक्त आदेशों के क्रम में कृपया अपने जनपद के समस्त मान्यता प्राप्त राजकीय/अशासकीय सहायता प्राप्त/अशासकीय गैर सहायता प्राप्त संस्थाओं के प्रधानों को निर्देशित कर दे कि उनके द्वारा आगामी वर्ष में परिषद द्वारा भराये जाने वाले आन लाइन फार्म में आधार कार्ड एवं विद्यालय का यूडायस कोड भरे जाने सम्बन्धी कालम को सम्मिलित करते हुये कक्षा- 9 से 12 तक के सभी छात्र/छात्राओं का आधार कार्ड संख्या एवं विद्यालय के यूडायस कोड की इन्ट्री करायी जायेगी।

कृपया शासन के पत्र के क्रम में छात्र/छात्राओं के आधार कार्ड बनवाये जाने एवं विद्यालयों के यूडायस कोड की इन्ट्री कराये जाने सम्बन्धी कार्यवाही का प्रभावी अनुश्रवण भी अपने स्तर से कराया जाना सुनिश्चित कराये।

भवदीय,

श्रीमती(शैल यादव)
सचिव।

दिनांक 18 मई 2017

पृष्ठांकन संख्या:परिषद-9/ 158 (1-7)

उक्त की प्रति निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1- संयुक्त सचिव, शिक्षा-7 अनुभाग, उ0प्र0शासन, लखनऊ।
- 2- शिक्षा निदेशक(मा0) एवं सभापति, मा0शि0प0, उ0प्र0, लखनऊ।
- 3- राज्य परियोजना निदेशक, शिविर कार्यालय, लखनऊ।
- 4- समस्त मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक/उप शिक्षा निदेशक, उ0प्र0।
- 5- अपर सचिव, मा0शि0प0, क्षेत्र0का0, मेरठ/बरेली/वाराणसी/इलाहाबाद।
- 6- प्रदेश के समस्त जनपदों के मान्यता प्राप्त संस्थाओं के प्रधान।
- 7- उप सचिव (सिस्टम सेल) मा0शि0प0, मुख्यालय को उक्त पत्र की प्रति परिषद की वेबसाइट upmsp.edu.in पर अपलोड कराने एवं इसके प्रभावी अनुश्रवण हेतु।

श्रीमती(शैल यादव)
सचिव।

18/5/17